न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट विराटनगर)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 11 / 2018 **दायर तारीख :– 23.01.2018**

1. कैलाश पुत्र हजारी लाल जाति धोबी निवासी जे–10 टी कैम्प खिचडीपुर ईस्ट दिल्ली–91
   बहैसीयत : मुख्त्यार आम नियुक्त
   भोलाराम सैनी पुत्र टेकाराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 कस्बा विराटनगर जिला जयपुर। **—— प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती खातेदारी

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पापडी के खसरा नम्बर 414/0.69 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने उक्त आराजी जरिए विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1983 को खातेदार काना पुत्र भूरा से खरीद की थी तथा खरीद के दिन से आज तक काबिज काश्त है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र में अपना नाम कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी अंकित करवाया था, तथा प्रार्थी का खाता भी मिसल नम्बर 611/84 से इसी नाम से खोला गया, परन्तु प्रार्थी ने जमाबन्दी प्राप्त की तो पता चला कि जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम केवल कैलाश पुत्र हजारीलाल दर्ज है, प्रार्थी की जाति अंकित नहीं की गई। अतः निवेदन है कि ग्राम पापडी के आराजी खसरा नम्बर 414/0.69 हैक्टेयर के जमाबन्दी रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र हजारी के बजाय कैलाश पुत्र हजारीलाल कौम धोबी निवासी विराटनगर दुरूस्ती आदेश फारमाने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 27 संवत 2071–2074, नकल मिसल नम्बर 611/84, फोटोप्रति विक्रय पत्र बहक कैलाश

चन्द पुत्र हजारीलाल धोबी, फोटोप्रति मुख्त्यारनामा आम दिनांक 13.11.2017, फोटोप्रति जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय दिल्ली प्रशासन आदि पेश किये गये।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। ग्राम पापडी के खसरा नम्बर 414/0.69 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी ने उक्त आराजी पूर्व खातेदार काना पुत्र भूरा से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1983 को क्रय किया है जिसका नामान्तकरण संख्या 611/84 प्रार्थी कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी के नाम दर्ज किया गया, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति अंकित नहीं की गई, जबकि नामान्तकरण में प्रार्थी की जाति अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति अंकित करवायी जावे।
   इसके संबंध में यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति अंकित नहीं है, जबकि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। इस अधिनियम के तहत पूर्व से दर्ज खातेदारी नाम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तथा न ही किसी की जाति का निर्धारण किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम निर्धारित प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने से खारिज किया जाता है।

आदेश मजमा–ए–आम दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर